युवा तथा खेलकूद और महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा): (क)

वर्ष	मात्रा (मैट्रिक टनों में)
1982-83	1,63,901
1983-84	1,77,602
1984-85	1,21,229

(ख) और (ग) प्रत्येक वर्ष जो खाद्य सामग्री केअर से प्राप्त होती है उसका आवंटन विभिन्न सरकारों को पिछले वर्ष के दौरान उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। केअर शनैः शनैः स्कूल बालक पूरक कार्यक्रम के लिए अपनी खाद्य सामग्री प्रदान कर रहा है। इस तथ्य को भी राज्यवार आवंटन करते समय ध्यान में रखा जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल में गैस से प्रभावित रेल कर्मचारी

1753. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1984 में भोपाल में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी जहरीली गैस से प्रभावित हुए थे,

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग तथा सरकार ने गैस से प्रभावित सभी रेल कर्मचारियों को किस प्रकार की कितनी कितनी सहायता प्रदान की है;

(ग) क्या रेल विभाग ने उन कर्मचारियों को, जिनके फेफड़े तथा आखें खराब हुई हैं, उनकी ड्यूटी में कोई छूट दी है; और

(घ) क्या भोपाल के रेल कर्मचारियों ने इस संबंध में कुछ समस्याएं और मांगें लिखकर प्रस्तुत की हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिये)**

(ग) गैस रिसने के कारण फैले विभिन्न रोगों से प्रभावित हुए 642 रेल कर्मचारियों की 3-12-84 से 24-12-84 तक की अनुपस्थिति को विशेष नैमित्तिक छुट्टी माना गया है।

(घ) जी हां, कुछ रेल कर्मचारियों ने चिकित्सा सहायता, वित्तीय सहायता और बीमारी के दौरान उनकी अनुपस्थिति के निरूपण से संबंधित समस्याओं और मांगों के बारे में अभ्यावेदन दिया है।

विवरण

1. चिकित्सा-सहायता :

(1) प्रभावित रेल कर्मचारियों को, जहां अपेक्षित था, चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा विशिष्ट इलाज सहित निःशुल्क अपेक्षित चिकित्सा सहायता प्रदान की गयी थी।

(2) ऐसे सभी प्रभावित व्यक्तियों का रेलवे स्वास्थ्य यूनिट/भोपाल में अनुवर्ती इलाज जारी है। जिन व्यक्तियों में किसी बीमारी का लक्षण दिखायी पड़ता है, उन सभी की स्थानीय तौर पर अथवा मेडिकल कालेज में अनुवर्ती जांच भी की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर, बीमारी की आगे जांच के लिए उन्हें बम्बई भेजा जाता है।

2. वित्तीय सहायता:

(1) मृत कर्मचारियों के परिवारों को राज्य सरकार की निधि से 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुग्रह राशि की सहायता दी गयी थी।

(2) गंभीर रूप से प्रभावित हुए कर्मचारियों को (जिनका 7 दिन तक या इससे अधिक दिन तक अन्तरंग रोगी के रूप में अस्पताल में इलाज किया गया था) राज्य सरकार की निधि से 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता दी गयी थी।

(3) मामूली रूप से प्रभावित कर्मचारियों को राज्य सरकार की निधि से 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था।

(4) जो कर्मचारी 3.12.84 से 24.12.84 तक की अवधि में ड्यूटी पर नहीं आ सके थे, उन की अनुपस्थिति को विशेष नैमित्तिक छुट्टी माना गया है।

(5) उपर्युक्त के अलावा, जिन रेल कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी थी, उन के मामले में रेलवे राजस्व से 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता राशि का भुगतान किया गया था।

(6) रेल कर्मचारियों द्वारा आवेदन करने पर उन्हें 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से "संकट अग्रिम" राशि का भुगतान करने का भी प्रबन्ध किया गया है।

(7) मृत रेल कर्मचारियों के आश्रितों को कर्मचारी कल्याण निधि से 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता राशि का भुगतान किया गया था।

(8) मृत रेल कर्मचारियों के आश्रितों को रेल मंत्री की कल्याण और राहत निधि से 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता राशि का भुगतान किया गया था।

(9) पात्र मामलों में, आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गयी है।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन रखा जाना

1754. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर "प्रयागराज रेलवे स्टेशन" रखे जाने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या क्या कार्यवाही की है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1755. *[Transferred to the 9ih December,* 1985]

Facilities for trawler units

1756. SHRI DINKARRAO GOVIND RAO PATIL: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the 'Indian Express' (New Delhi) of the 24th August, 1985 under the caption "More facilities for trawler units sought", if so, what are the details thereof; and

(b) what steps Government have taken to provide relief to these units?

THE MINISTER OF TRANSPORT (SHRI BANSI LAL): (a) and (b) Government has seen the news item published in the 'Indian Express' (New Delhi) of the 24th August, 1985 under the caption "More facilities for trawler units sought". A Note from the Association of Indian Engineering Industry highlighting certain areas of concern to the Shipbuilding Industry for the construction of Deep Sea Fishing Trawlers was received in the Department of Surface Transport in August, 1985. In the Note the AIEI has stressed action mainly in regard to the inclusion of escalation clause in the shipbuilding contracts, extending the facilities of Open General Licence, development of ancillary units and curtailment of delays in procedure etc.

The Empoweredi Committee on Trawlers has already taken steps in respect of various points made by the AIEI. A sub committee has been constituted to examine the issue relating to escalation clause in the shipbuilding contracts. Since it was not feasible to include import of machinery and equipment under OGL, the matter has been taken up with CCI&E to make suitable provision in the Import Policy for import upto 20 per cent of the cost of trawlers without DGTD clearance. While the Government is giving priority for development of shipbuilding